



## संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का पाँचवाँ सत्र

### प्रलिस के लिये:

सगल यूज़ प्लास्टिक, सतत् विकास लक्ष्य, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, 2015 पेरसि समझौता ।

### मेन्स के लिये:

सगल यूज़ प्लास्टिक और संबधति चित्ताएं, पर्यावरण प्रदूषण और गरिावट, संरक्षण ।

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में पाँचवीं [संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा](#) ने [सतत् विकास लक्ष्यों](#) को प्राप्त करने के लिये प्रकृतिसंबंधी कार्यों को सशक्त बनाने हेतु 14 प्रस्तावों के साथ नषिकरष नकाला है ।

- UNEA-5 का समग्र वषिय "सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये प्रकृतिसंबंधी कार्यों को सशक्त बनाना" था, जिसकी मेज़बानी **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम** द्वारा की गई थी ।
- "UNEP@50", यूएनईपी की 50वीं वर्षगाँठ को चहिनति करने वाली बैठक के आयोजन के बाद सभा का दो दिवसीय वषिय सत्र होगा, जहाँ सदस्य राज्यों से इस संबध में संबोधन की उम्मीद की जाती है कि महामारी के बाद एक लचीली और समावेशी दुनिया का नरिमाण कैसे कथिा जाए और राजनीतिक घोषणा का मसौदा तैयार कथिा जाए ।

### संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा:

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (The United Nations Environment Assembly- UNEA) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का प्रशासनिक नकियाय है ।
- यह पर्यावरण के संदर्भ में नरिणय लेने वाली वषिव की सर्वोच्च स्तरीय नकियाय है ।
- यह पर्यावरणीय सभा 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों से बनी है जो वैश्विक पर्यावरण नीतियों हेतु प्राथमकित्ताएँ नरिधारति करने और अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कानून वकिसति करने के लिये द्विवार्षिक रूप से आयोजति की जाती है ।
- सतत् विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का गठन जून 2012 में कथिा गया । धातव्य है कि सतत् विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को RIO+20 के रूप में भी संदर्भति कथिा जाता है ।

### सत्र की मुख्य वषियताएँ

#### ■ प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने का प्रस्ताव:

- सत्र में शामिल वभिनिन देशों के पर्यावरण मंत्रियों ने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता करने हेतु एक अंतर-सरकारी वार्ता समति (INC) स्थापति करने पर सहमति वियक्त की ।
- वर्ष 2024 के अंत तक इस कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक समझौते के मसौदे को पूरा करने की महत्त्वाकांक्षा के साथ यह अंतर-सरकारी वार्ता समति वरष 2022 में अपना काम शुरू करेगी ।
- इसे वर्ष 2015 के पेरसि समझौते के बाद से सबसे महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय मसौदा माना जा रहा है ।

- इस कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते के तहत वभिनिन देशों से प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के उद्देश्य को पूरा करने हेतु देश-संचालति दृष्टिकोणों को अपनाते हुए राष्ट्रीय कार्य योजनाओं को वकिसति करने, लागू करने और अद्यतन करने की अपेक्षा की जाएगी ।
- उनसे प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम, कमी और उनमूलन की दिशा में काम करने तथा क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग का समर्थन करने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजनाओं को बढ़ावा देने की भी अपेक्षा की जाएगी ।

#### ■ रसायन और अपशषिट के प्रबंधन पर प्रस्ताव:

- यह रसायनों और अपशुद्धि के बेहतर प्रबंधन एवं प्रदूषण को रोकने पर एक व्यापक तथा महत्त्वाकांक्षी विज्ञान नीति पैनल की स्थापना का समर्थन करता है।
- मंत्रसिंहासनी घुषणा में रसायनों एवं अपशुद्धि प्रबंधन में मानवता की वफिलता को मान्यता दी गई है, साथ ही यह स्वीकार किया गया है कि यह खतरा एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक और कीटाणुनाशक रसायनों के व्यापक उपयोग के कारण कोवडि-19 महामारी से और बढ़ गया है।
- **प्रकृति आधारित समाधानों पर केंद्रित प्रस्ताव:**
  - पारस्थितिक तंत्र बहाली के लिये संयुक्त राष्ट्र दशक (वर्ष 2021-2030) की भावना के रूप में यह प्रकृति-आधारित समाधानों पर केंद्रित है जिसमें पारस्थितिक तंत्र की रक्षा, संरक्षण, पुनरस्थापना, स्थायी रूप से उपयोग और प्रबंधन हेतु कार्रवाई शामिल है।
  - प्रस्ताव में UNEP द्वारा ऐसे समाधानों के कार्यान्वयन का समर्थन करने का आह्वान किया गया है, जो समुदायों और समुदायों के लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हैं।
- **पारस्थितिक तंत्र की बहाली को प्राथमिकता देने वाला प्रस्ताव:**
  - तीन प्रस्तावों में पारस्थितिक तंत्र की बहाली, जैव विविधता संरक्षण, संसाधन दक्षता, खपत व उत्पादन पैटर्न, जलवायु शमन और अनुकूलन, रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता दी गई है।
- **खनिज और धातु पर प्रस्ताव:**
  - यह खनिज और धातुओं के पूरण जीवनचक्र के साथ पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने हेतु प्रस्तावों के विकास का आह्वान करता है।
- **सतत शील प्रबंधन पर प्रस्ताव:**
  - यह राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास योजनाओं में शीलों को एकीकृत करते हुए सदस्य राज्यों से शीलों की रक्षा, संरक्षण और पुनरस्थापना के साथ-साथ स्थायी रूप से शीलों का उपयोग करने का आह्वान करता है।
- **सतत और लचीले बुनियादी ढाँचे पर प्रस्ताव:**
  - यह सदस्य राज्यों को उनकी सभी बुनियादी ढाँचा योजनाओं में पर्यावरणीय विचारों को एकीकृत करने हेतु प्रोत्साहित करता है।
- **पशु कल्याण पर प्रस्ताव:**
  - यह सदस्य राज्यों से जानवरों की रक्षा, उनके आवासों की रक्षा और उनकी कल्याणकारी आवश्यकताओं को पूरा करने का आह्वान करता है।
    - यदि मानव द्वारा 'वन हेल्थ' जैसे समग्र दृष्टिकोण को अपनाकर प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं किया जाता है तो यह संकल्प भविष्य में महामारियों और अन्य स्वास्थ्य जोखिमों को उत्पन्न कर सकता है।
- **जैव विविधता और स्वास्थ्य पर प्रस्ताव:**
  - यह सदस्य राज्यों से वनियमन और नयंत्रण के माध्यम से भोजन, कैप्टिव ब्रीडिंग, दवाओं और पालतू जानवरों के व्यापार के प्रयोजन हेतु तथा ज़बरन अपने अधिकार में लेने और जीवित वन्यजीवों के व्यापार से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने का आह्वान करता है।
- **नाइट्रोजन अपशुद्धि को कम करने का संकल्प:**
  - यह सभी स्रोतों से नाइट्रोजन अपशुद्धि को कम करने के लिये त्वरित कार्रवाई का आह्वान करता है, विशेष रूप से कृषि पद्धतियों के माध्यम से तथा प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत करना।
- **कोवडि के बाद उपायों को मज़बूत करने का संकल्प:**
  - वधानसभा ने स्थायी, लचीला और समावेशी वैश्विक सुधार के उपायों को मज़बूत करने के लिये "एक स्थायी, लचीला और समावेशी पोस्ट-कोवडि-19 वसूली के पर्यावरणीय आयाम पर संकल्प" को अपनाया है।
- **अन्य संकल्प:**
  - असेंबली के अतिरिक्त संकल्प व नरिणय **UNEA-6** के लिये तारीख और स्थान, **वैश्विक पर्यावरण आउटलुक (GEO)** के भविष्य तथा यूएनईपी (UNEP) के सचिवालय में न्यायसंगत भौगोलिक प्रतिनिधित्व और संतुलन को संबोधित करते हैं।

## भारत द्वारा प्रस्तावित संबंधित मसौदा प्रस्ताव:

- **एकल उपयोग प्लास्टिक** उत्पाद प्रदूषण सहित प्लास्टिक उत्पाद प्रदूषण को संबोधित करने के लिये **भारतीय मसौदा संकल्प शीर्षक वाला फ्रेमवर्क** देशों द्वारा तत्काल सामूहिक स्वैच्छिक कार्रवाई किये जाने के सिद्धांत पर आधारित था।
- लेकिन भारत एक नई अंतरराष्ट्रीय और कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि के लिये **INC** की स्थापना हेतु सहमत हो गया है।
  - **INC** द्वारा कानूनी रूप से बाध्यकारी रूप से पेश किये जाने की उम्मीद है, जो प्लास्टिक के पूरण जीवन चक्र, पुनः प्रयोज्य उत्पादों तथा सामग्रियों का नरिमाण एवं प्रौद्योगिकी, क्षमता नरिमाण तथा वैज्ञानिक व तकनीकी सहयोग तक पहुँच को सुवधिजनक बनाने के लिये अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को संबोधित करने हेतु विविध विकल्पों को प्रतिबिंबित करेगा।
- इससे पहले भारत ने **प्लास्टिक अपशुद्धि प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022** की घोषणा की थी, जिसने प्लास्टिक पैकेजिंग के लिये **वसितारित**

[नरिमाता उत्तरदायित्व \(EPR\) पर नरिदेशों](#) को अधसूचिति कयिा थ।

- प्लास्टकि कचरा परबंधन नयिम 2016 में [एकल उपयोग](#) वाले प्लास्टकि के उन्मूलन और वकिल्पो को बढावा देने के लयि तेज़ी से संशोधन कयिा गया है।

**स्रोत: बज़िनेस स्टैण्डर्ड**

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/fifth-session-of-the-united-nations-environment-assembly>

